न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

राजस्व अपील सं 22/2018

<u>प्रार्थी</u>

1. जीवराज सिंह पुत्र सूरजमल सिंह
2. भैरूसिंह पुत्र सूरजमलसिंह जाति राव, निवासी ग्राम भूगरा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर प्रकरण सं 22/2018 दिनांक 09.01.2018 सरकार बनाम जीवराज सिंह वगैरह।

राजस्व अपील सं 23/2018

<u>प्रार्थी</u>

1. जीवराज सिंह पुत्र सूरजमल सिंह
2. भैरूसिंह पुत्र सूरजमलसिंह जाति राव, निवासी ग्राम भूगरा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर प्रकरण सं 23/2018 दिनांक 23.01.2018 पटवारी हल्का भूगरा बनाम जीवराज सिंह वगैरह।

<u>उपस्थिति</u>

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभावक श्री ओ0पी0 सोनी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 21.03.2018

प्रस्तुत दोनो राजस्व अपीलें अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उप तहसीलदार शेरगढ द्वारा अपील संख्या 22/2018 में नोटिस दिनांक 09.01.18 व अपील सं 23/2018 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उक्त दोनो अपीलों मे विवाद की प्रकृति व अनुतोष समान होने से अपीलार्थी के विद्ववान अभिभाषक की प्रार्थना स्वीकार कर बहस एक साथ दिनांक 13.03.2018 को सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

प्रस्तुत दोनो अपीलों में विद्यमान संक्षिप्त व आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूगरा तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील सं 22/2018 में रेस्पोडेन्टस को प्रारूप क (नियम—3) में दिनांक 09.01.2018 को जारी नोटिस के विरुद्ध व राजस्व अपील सं 23/2018 में नायब तहसीलदार शेरगढ द्वारा उनके न्यायालय में एल आर एक्ट धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण सं 23/2018 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 के विरुद्ध अपील पेश की है। पटवारी हल्का भूगरा ने जीवराजसिंह वगैरह के विरुद्ध एल आर एक्ट धारा 91 के तहत ग्राम भूगरा के खसरा सं 122 रकबा 2.02 बीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर तारबन्दी कर रास्ता रोक दिया गया है के पेश की है और नायब तहसीलदार शेरगढ ने उक्त प्रकरण का निर्णय 23.01.18 को बेदखली का आदेश पारित किया इससे व्यथित होकर अपील पेश की।

अपीलान्ट के विद्ववान अभिभाषक श्री ओ0पी0 सोनी अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्टस के विरुद्ध जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध, न्याय एवं कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 650 रकबा 15.07 बीघा, खसरा नम्बर 651 रकबा 22.04 बीघा, कुल 37.11 बीघा ग्राम भूगरा तहसील शेरगढ में आई हुई है। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार शेरगढ द्वारा राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से तथा तहसीलदार शेरगढ की मिलीभगत से गलत आदेश किया है जो कानूनन गलत है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.12.17 की फोटो कॉपी संलग्न है। खेत खसरा न0 650 व 651 अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन है। इसको राजनैतिक पार्टी से हैरान व परेशान करने के लिये उपरोक्त खसरान के बिना खेत को पेमाईश व

बिना नापतोल किये बिना खेत को नापे हुए किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकालने बाबत् आदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा न0 122 से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में किसी प्रकार के उपरोक्त खसर न. 650,651,639,118,121,136/1 से कोई रास्ता नहीं निकाले जिसका आदेश श्रीमान् द्वारा दिया जा चुका है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में अपीलान्ट के पक्के मकान बने हुए है, उसको रस्पोडेन्ट तोड़कर रास्ता निकालना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। न ही दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया। बहस भी नहीं सुनी गई।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन अधीनस्थ न्यायायल से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। इस प्रकरण का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जा रहा है।

इस प्रकरण में यह तथ्य प्रगट हुए है कि पटवारी हल्का भूगरा तहसील शेरगढ ने धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट कर जाहिर किया कि जीवराज सिंह भैरूसिंह पुत्र सूरजमल सिंह, गजेसिंह, स्वरूपसिंह, प्रेमसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राव ने ग्राम भूगरा के खसरा न0 122 कुल रकबा 15.12 बीघा किस्म गै मु. रास्ता में 2.02 बीघा भूमि तारबन्दी कर रास्ता बंद कर दिया। नायब तहसीलदार शेरगढ ने धारा 91 एल आर एक्ट प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली सं 23/2018 संधारित की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी भैरूसिंह अधीनस्थ न्यायायल में दिनांक 12.01.18 को उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को जवाब, साक्ष्य , सबूत पेश करना चाहता है। इस कारण समय दिया जाये। जो दिया जाकर आगामी तारिख पेशी 19.01.18 रखी गयी, लेकिन इस नियत तारिख पेशी को अप्रार्थी गैर हाजिर रहा और आगामी तारिख पेशी 23.01.18 रखी गयी । इस नियत तारिख पेशी पर अप्रार्थी गैर हाजिर रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर किये निर्णय पारित करते हुए गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है व अधीनस्थ नायब तहसीलदार शेरगढ के प्रकरण सं 23/2018 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व

अधिनियम के तहत पारित निर्णय दिनांक 23.01.18 यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार शेरगढ का निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भूगरा तहसील शेरगढ के खसरा न0 122 अतिक्रमण रकबा 2.02 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता के भूमि पडौसी खसरों के खातेदारी भूमि की पैमाईश करे। यदि पडौसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करे।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर